यह निरीक्षण प्रतिवेदन चिकित्सा अधीक्षक संयुक्त चिकित्सालय टनकपुर द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय चिकित्सा अधीक्षक संयुक्त चिकित्सालय टनकपुर माह 04/2015 से 12/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री शरत श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री सलीम खान वरि0 लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 20-01-2019 से 23-01-2019 तक श्री शशिकांत पाण्डेय वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री अरविंद शर्मा एवं श्री खजान सिंह सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 18.09.2013 से 23.09.2013 तक श्री सुनील कल्ला वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण मे संपादित किया गया था। जिसमे माह 07/2010 से 08/2013 तक की अवधि की लेखापरीक्षा की गयी थी।
2. **(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** इकाई द्वारा मुख्यतः रोगियों का उपचार, प्रसव, बच्चो का टीकाकरण, परिवार कल्याण संबंधी सेवायें।

   (ii) इकाई द्वारा राज्य सरकार, यूजर चार्जेस एन° एच° एम°, जननी सुरक्षा योजना, प्रतिरक्षण, परिवार कल्याण कार्यक्रम, आयुष्मान योजना।

(iii)(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु लाख मे)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		समर्पण राशि/स्थानांतरण	बचत (-)₹
	स्थापना ₹	गैर स्थापना ₹	आवंटन₹	व्यय ₹	आवंटन₹	व्यय₹		
2015-16	-----	37.66	244.46	212.78	91.37	70.20	31.68	58.83
2016-17	-----	58.83	262.96	229.16	47.37	46.49	33.80+10.00	49.71
2017-18	------	49.71	268.93	265.47	65.68	45.94	3.46+20.82	48.62

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रा. अवशेष	प्राप्त ₹	व्यय अधिक्य (+)₹	बचत (-) ₹	स्थानांतरण
2015-16	NHM	32.64	79.95	61.14	51.45	-----
2016-17	NHM	51.45	42.72	39.52	44.65	10.00
2017-18	NHM	44.65	39.66	31.42	32.06	20.83

(iv) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई को जिला योजना , एवं कोषागार मद से धनराशि प्राप्त होती है। इकाई श्रेणी स के अंतर्गत आती है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

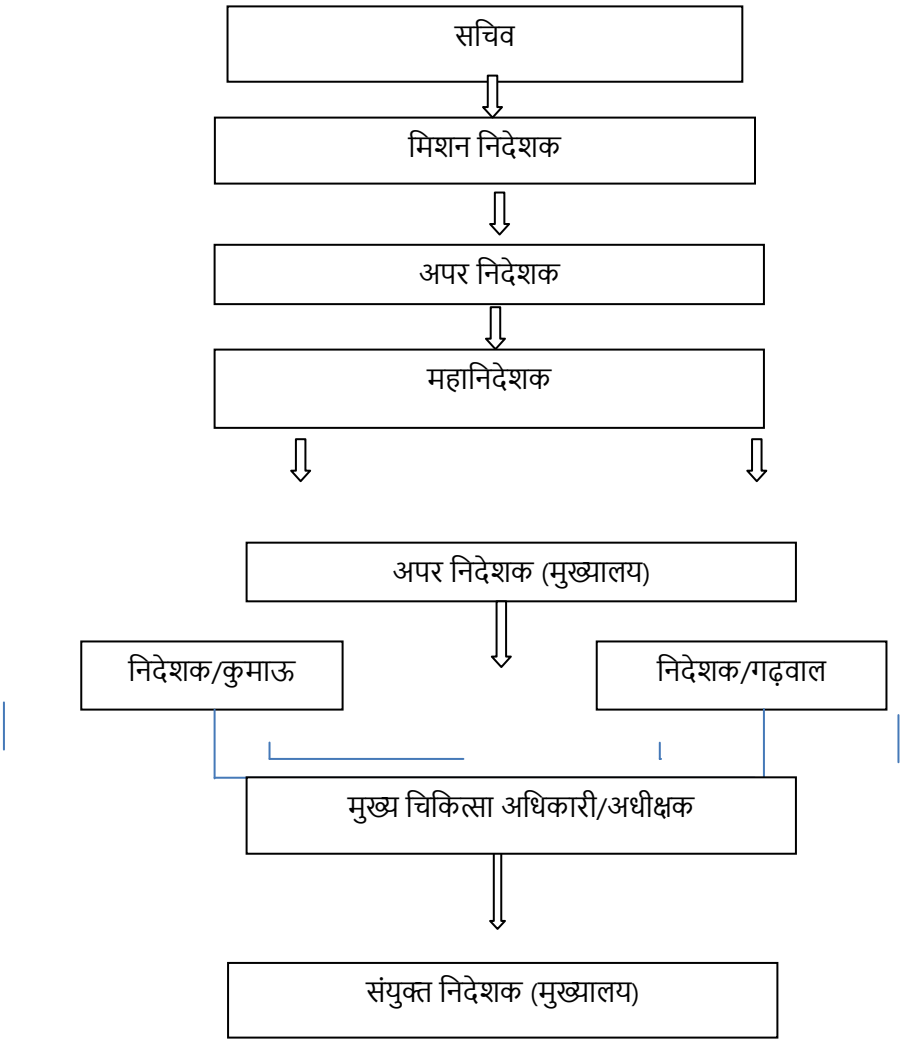

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में रोगियों का उपचार, प्रसव, बच्चो का टीकाकरण, परिवार कल्याण संबंधी सेवाये लेनदेन की लेखापरीक्षा संपादित की गयी। को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन खंड चिकित्सा अधीक्षक संयुक्त चिकित्सालय टनकपुर की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह01/2016 एवं 07/2018को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। जननी सुरक्षा योजना, औषधि क्रय,मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना आदि का विस्तृत विश्लेषण किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा18 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-1- औषधि की स्थानीय क्रय रु 21.58 लाख मे औषधि क्रय नीति का पालन न किया जाना

उत्तराखंड शासन संख्या 932/XXVII-4-2014-28 (8)/2012 दिनांक 13 जुलाई 2015 के अंतर्गत औषधियों को कुछ प्रतिबंधों के साथ क्रय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। जिसमे औषधियों का क्रय ख्याति प्राप्त औषधि निर्माताओ से ही किया जाना था। जिसके मूल्यांकन हेतु उनसे चार्टेड एकाउंटेंड (सीए) द्वारा अभिप्रमाणित विगत तीन वित्तीय वर्षो की बैलेन्स शीट की टर्न ओवर की प्रतियाँ ली जाय एवं उन्ही फर्मो से दवा की खरीद की जाय। औषधि उत्तराखंड मे स्थित स्थानीय उत्पादको को इस शर्त के साथ छूट देते हुए औषधियो एवं सर्जिकल आइटमों हेतु विगत 03 वर्षो का औसतन टर्न ओवर निर्धारित किया गया था तथा उत्तराखंड राज्य हेतु औषधि क्रय नीति के अंतर्गत यह भी स्पष्ट है कि भारत सरकार द्वारा चिन्हित 103 औषधियो को छोड़कर शेष समस्त औषधियो के टेंडर कराये जायेगे।

विगत तीन वर्षो (2016-17 से 2018-19 (दिसंबर 2018 तक) की अवधि के दौरान औषधि एवं सर्जिकल आइटमों संबंधी क्रय अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि वर्ष 2016-17 मे रु 3.26 लाख, वर्ष 2017-18 मे रु 15.29 लाख एवं वर्ष 2018-19 मे रु 3.03 लाख की खरीद करते समय उपर्युक्त नियमो का पालन नहीं किया गया और कोटेशन के आधार पर खरीद की गयी।

इकाई से इस संबंध मे पूछे जाने पर स्वीकार किया गया कि भविष्य मे औषधि क्रय नीति के अनुसार क्रय किया जायेगा।

इकाई के उत्तर से स्वतः तथ्यो की पुष्टि होती है कि इकाई द्वारा औषिधि क्रय नीति का पालन नहीं किया जा रहा था।

अतः औषधि एवं सर्जिकल आइटमों की स्थानीय क्रय रु 21.58 लाख मे औषधि क्रय नीति का पालन न किये जाने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

भाग -दो (ब)

प्रस्तर-2: विशेषज्ञ चिकित्सको तथा सहयोगी स्टाफ के पद रिक्त होने रहने के कारण रोगियो को इलाज से वंचित रहना ।

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक संयुक्त चिकित्सालय, टनकपुर की ,भौगोलिक स्थिति पहाड़ी एवं मैदानी होने के कारण जहाँ पर प्रति वर्ष ओपीडी मे 42154 से 48261 एवं आईपीडी मे प्रति वर्ष 1641 से 1126 महिला रोगी एवं अन्य रोगी पंजीकृत होती हैं और अत्यधिक संख्या मे नवजात शिशुओं का जन्म भी होता है, विगत पाँच वर्षो मे (2014 से वर्ष 2018 तक) ओपीडी कुल 221054 एवं आईपीडी कुल 6765. इस प्रकार कुल (221054+6765=227819.) विभिन प्रकार के रोगियो को पंजीकृत किया गया था।

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक संयुक्त चिकित्सालय टनकपुर के द्वारा उपलब्ध कराये गई सूचना/ अभिलेखो की नमूना की जाँच करने पर यह पाया गया की कुल स्वीकृत पद 43 के सापेक्ष केवल 28 पद कार्यात है। निम्नलिखित स्वीकृत पद 21 के सापेक्ष 06 पद जिसमे से 16 पद रिक्त जिनका पदनाम एवं विवरण निम्नवत है। ऐसी स्थिति मे स्टाफ की कमी एक गंभीर समस्या है।

क्र सं	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यात पद	रिक्त पद
1	जी डी एम ओ	1	0	**1**
2	महिला चिकत्सक	1	0	**1**
3	रेडियोलाजिस्ट	1	0	**1**
4	फिजीशियन	1	0	**1**
5	पैथौलजिस्ट	1	0	**1**
6	नेत्रा सर्जन	1	0	**1**
7	ई एम ओ पुरुष	1	0	**1**
8	स्त्री रोग विशेषग	1	0	**1**
9	उपचारिका	4	3	**1**
10	एक्स –रे टैकनिशियन	1	1	**1**
11	कनिष्ठ सहायक	1	0	**1**
12	स्वास्थ्य निरीक्षिका	1	0	**1**
13	कक्ष सेवक	4	2	**2**
14	नर्सिंग सहायक	1	0	**1**
15	चौकीदार	1	0	**1**
		21	**06**	**16**

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि संयुक्त चिकित्सालय टनकपुर कार्यालय में चिकित्सकों एवं सहयोगी स्टाफ के 16 पद रिक्त होने के कारण स्वास्थ्य सेवाओं पर एवं सरकारी योजनाएँ के संचालन तथा अनुश्रवण के कार्यों मे बाधा व कठिनाई होना स्वाभाविक था तथा स्थानीय जनता को मिलने वाले स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता एवं जो उपकरण रोगियो के जाँच हेतु लगाये गये थे वो भी काफी समय से उपयोग मे नहीं लाया जा रहा था। इकाई से यह भी पूछा गया की रोगियो को क्या किसी अन्य चिकत्सालय मे संदर्भित किया जाता है।

उपरोक्त के सम्बंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने उत्तर में अवगत कराया कि यद्यपि दी गई सूचना के अनुसार उपकरण संचालन योग्य है परंतु संबधित कार्मिको की कमी के कारण उपकरण वर्तमान मे संचालन नहीं हो पा रहा है जन हित मे संबन्धित उपकरण का उपयोग चिकित्सको द्वारा किया जाता है। रिक्त पदों की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को समय पर भेजी जाती है। रोगियो को किसी अन चिकत्सालय मे संदर्भित किये जाने के बारे मे इकाई ने कोई साफ उत्तर नहीं किया।

अतः विशेषज्ञ चिकित्सको तथा सहयोगी स्टॉफ के पद रिक्त होने रहने के कारण रोगियो को इलाज से वंचित रहने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-1- रोकड़ बही और बैंक पास बुक के शेष मे अंतर कि राशि रु 25.48 लाख का मिलान न किया जाना।

वित्तीय हस्तपुस्तिका मे रोकड़ बही के संबंध मे दिये गये नियमो के अनुसार समय समय पर बैंक पुस्तिका में दिये गये शेष का मिलान रोकड़ बही मे दिये गये शेष से करना चाहिये तथा अंतर के कारणो को बैंक समाधान विवरण मे दर्शाया जाना चाहिये।

इकाई के रोकड़ बहियो एवं संबन्धित पास बुक के शेष के सत्यापन मे पाया गया कि निम्नलिखित मदों मे अंतर कि राशि का मिलान नहीं किया गया।

1. **सीपीएस की रोकड़ बही के अनुसार निम्नलिखित माहों के निरीक्षण मे रोकड़ बही के शेष एवं पास बुक के शेष मे निम्नलिखित अंतर था-**

माह	रोकड़ बही के अनुसार	पास बुक के अनुसार	अंतर
01/2016	533996/-	1130349/-	596353/-
07/2016	893706/-	871939/-	21767/-
03/2018	944823/-	2094789/-	11,49,966/-

2. **आरसीएच, एवं एनआरएचएम मिशन की 03/2018 के रोकड़ बही के अंतिम शेष और पास बुक के अंतिम शेष मे निम्नलिखित अंतर पाया गया –**

मद का नाम	रोकड़ बही के अनुसार	पास बुक के अनुसार	अंतर की राशि
आरसीएच	427997/-	860917/-	432920/-
एनआरएचएम मिशन	2923453/-	3271333/-	347878/-

इकाई से इस संबंध मे पूछे जाने पर बताया गया कि लेखे मे एक कार्मिक कि नियुक्ति होने के कारण तथा कार्य कि अधिकता के कारण बैंक समाधान विवरण नहीं बन पाया।
इकाई का उत्तर मान्य नहीं था, वित्तीय लेनदेन कि पारदर्शिता के लिये बैंक समाधान विवरण बनाया जाना नितांत आवश्यक कार्य था। जो इकाई द्वारा नहीं किया जा रहा है।
अतः रोकड़ बही और बैंक पास बुक के शेष मे अंतर कि राशि रु 25.48 लाख का मिलान न किये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-2- रु. 3,88,400.00 का अनियमित भुगतान।

जे एस वाई दिशा निर्देशों के अनुसार आशाओं को देय धनराशि (600 शहरी क्षेत्र एवं 400 शहरी क्षेत्र) का दो बार में भुगतान किया जाता है। प्रथम बार गर्भवती महिला को स्वास्थ्य केन्द्र पर लाने के समय और द्वितीय बार प्रसव के एक माह बाद स्वास्थ्य केंद्र पर बच्चे को बी सी जी के टीकाकरण के बाद।

संयुक्त चिकित्सालय टनकपुर के जो एस वाई से संबंधित अभिलेख एवं प्रदत्त आंकणों की जांच में पाया गया कि वर्ष 2015-16 से 2018-19 के दौरान समस्त आशा कार्यकर्त्री को दिशा निर्देशों के विरूद्ध एक बार में ही कुल भुगतान रु. 3,88,400.00 कर दिया गया।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर विभाग ने बताया कि जे.एस.वाई. की दिशा निर्देशों के अनुसार एवं कार्मिकों की उपलब्धता के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

विभागीय उत्तर स्वयं लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि करता है

प्रकरण उचित कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
101/2013-14	----	1,2	1

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
अनुपालन आख्या संस्तुति हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी को प्रेषित किये जाने थे। जिसकी संस्तुति के पश्चात महालेखाकार कार्यालय को भेजा जाना था।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

.....शून्य.....

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु चिकित्सा अधीक्षक संयुक्त चिकित्सालय टनकपुर तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**
2. **माह 09/2013 से 03/2015 तक के अभिलेख**
3. **सतत् अनियमितताएः**
   "शून्य"
4. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
1.	डा0 घनश्याम तिवारी	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक	13.08.2013 से 19.02.2014
2.	डा0 एच0 एस0 हयान्की	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक	20.02.2014 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति चिकित्सा अधीक्षक संयुक्त चिकित्सालय टनकपुर को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार सामाजिक क्षेत्र को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.